न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरूण कुमार जैन, आर0 ए0 एस

मूल वाद संख्या– 112/2019 (पुराना) तथा इस न्यायालय का वाद पत्र संख्यांक 23/2022

वाद दायर दिनांकः– 11/09/2019

1. शिशपाल पुत्र कालूराम उर्फ बोदू
2. जगदीश पुत्र कालूराम उर्फ बोदू
3. सरजू देवी पुत्री कालूराम उर्फ बोदू
4. संतोष पुत्री कालूराम उर्फ बोदू

समस्त जाति कुमावत निवासीयान बस्सी नागा, तहसील फुलेरा हाल जोबनेर जिला जयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. कालूराम उर्फ बोदू पुत्र कानाराम जाति कुमावत निवासीयान बस्सी नागा, तहसील फुलेरा हाल जोबनेर जिला जयपुर
2. सत्यनारायण पुत्र कालूराम उर्फ बोदू
3. राजू पुत्री कालूराम उर्फ बोदू
4. लीलाधर पुत्र सुरज्ञान देवी पुत्री कालूराम उर्फ बोदू
5. महेश पुत्र सुरज्ञान देवी पुत्री कालूराम उर्फ बोदू
6. भगवती उर्फ सुरखा पुत्र सुरज्ञान देवी पुत्री कालूराम उर्फ बोदू
7. देववृत शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी झोटवाडा जिला जयपुर

<u>वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः– 1. श्री चंदन सिहं, विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादीगण।
2. प्रतिवादी संख्या 1 एक के विरूद्ध पक्षीय कार्यवाही
3. श्री अजय सिंह विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 6
4. सरकार पैरोकार

–:निर्णयः– दिनांकः–21.04.2023

पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 के अंतर्गत दिनांक 11.09.2019 को प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश कमांक सम/2022/4190–4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक को हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। वादी/प्रतिवादीगण अधिवक्ता तथा पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ल0 6 प्रतिवादी सं0 1 की जायन्दा संताने है एवं संयुक्त हिन्दू परिवार के मुश्तर्का खानदान के सदस्य है जिनका सिजरा खानदान वाद पत्र के मद सं0 1 में दर्ज

.....2

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

है। पक्षकारान की मुश्तर्का कब्जे काश्त व खातेदारी की मौरूसी आराजीयात खाता नं0 नया 18 पुराना 125 की आराजीयात खसरा नं0 59 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा,खसरा नं0 442 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 492 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 494 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 440/1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 440/2 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं0 441 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 491 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा, कुल किता 8 कुल रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम बस्सी नागा में स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 कालूराम उर्फ बोदू का 1/4 हिस्से का एवं खाता नं0 नया 19 पुराना 125 की आराजीयात के खसरा नं0 60 रकबा 38 बीघा 12 बिस्वा वाकै ग्राम बस्सी नागा में स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 कालूराम उर्फ बोदू का 117/772 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त सम्पूर्ण आराजीयात पर परचा सेटिलमेंट के समय प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 पर काबिज काश्त था इसी अनुसार परचा खातेदारी आया था बाद में खसरा नं0 60 में से बेचान होने पर प्रतिवादी सं0 1 का 117/772 हिस्सा व खाता नं0 नया 18 के कुल किता 8 कुल रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा में प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा अंकित रहा। हिन्दू उत्तराधिकार व काश्तकारी प्रावधानो के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 के नाम खाता नं0 नया 18 में बहेसियत कर्ता 1/4 हिस्सा अंकित है। जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1ल0 3 व प्रतिवादी सं0 4 ल0 6 की माता सुरज्ञान आठों समान भाग के हकदार है वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1ल0 3, 7/32 हिस्से के एवं प्रतिवादी सं0 4 ल0 6 जो की सुरज्ञान पुत्री कालूराम उर्फ बोदू के वारिस है का 1/32 हिस्से के हकदार है एवं खाता नं0 नया 19 के खसरा नं0 60 में 117/772 वां हिस्सा अंकित है। जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1ल0 3 व प्रतिवादी सं0 4 ल0 6 की माता सुरज्ञान आठों समान भाग के हकदार है वादीगण प्रतिवादी सं0 1 के 117/772 वें हिस्से में से 1 ल0 4 हि0 4/8, एवं प्रतिवादीगण सं0 1ल0 3, हि0 3/8 हिस्से के एवं प्रतिवादी सं0 4 ल0 6 जो की सुरज्ञान पुत्री कालूराम उर्फ बोदू के वारिस है का 1/8 हिस्से के हकदार है एवं इसी अनुसार काबिज काश्त है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 एवं मृतका सुरज्ञान देवी प्रतिवादी सं0 1 की जायन्दा संताने होने के कारण बाई बर्थ उनका हित निहित है, प्रतिवादी सं0 1 को पुश्तैनी आराजी मे अपने हिस्से से अधिक भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं है। वादीगण को पुश्तैनी आराजी के अधिकारो से वंचित करने की गरज से खसरा नं0 59 में अपने 1/4 हिस्से का 52/225 वां हिस्सा एवं खसरा नं0 60 में अपने 117/772 सम्पूर्ण को 68,11,000/– रू0 में प्रतिवादी सं0 7 को दिनांक 06/04/2017 को बैचान कर विधिवत बैचान पत्र उप पंजियक सांभर में 05/04/2017 को तहरीर कराकर दिनांक 06/04/2017 को पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 588 पृ0 सं0 137 कम सं0 201703302101183 पर पंजियन कराया जाकर अतिरिक्त पु0 सं0 1 जिल्द सं0 1166 के पृ0 सं0 317 से 329 पर चस्पा किया गया जिसकी फोटोप्रति पेश है। उक्त बेचान पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं0 7 को कोई कब्जा नहीं दिया गया । आज भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ल0 6 हिस्सेनुसार काबिज काश्त है प्रतिवादी सं0 1 ने अपने हिस्से से अधिक का बेचान किया है जिससे वादीगण पाबन्द नहीं है व बमुकाबिले वादीगण बातिल व बेअसर है व वादीगण उक्त बेचान व उसके आधार पर

.....3

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन से पाबन्द नही है। प्रतिवादी सं0 7 कथित वेचान के आधार पर वादीगण को बेदखल कर कब्जा करने एवं अन्य को वेचान कर राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन कराने पर उतारू है। दिनांक 21/08/2019 को प्रतिवादी अजनबियो को विवादग्रस्त आराजी पर लेकर आया व वादीगण को बेदखल करने बेचान के आधार पर कब्जा करने की धमकी दी व पुश्तैनी आराजी में वादीगण के अधिकारों से इंकार करने पर वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण का वाद विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की जारी की जावे कि खाता नं0 नया 18 के कुल किता 8 कुल रकवा 30 बीघा 11 बिस्वा में प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा अंकित रहा। जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1ल0 3 व प्रतिवादी सं0 4 ल0 6 की माता सुरज्ञान आठों समान भाग के हकदार है अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1ल0 3, 7/32 हिस्से के एवं प्रतिवादी सं0 4 ल0 6 जो की सुरज्ञान पुत्री कालूराम उर्फ बोदू के वारिस है का 1/32 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। खाता नं0 नया 19 के खसरा नं0 60 में प्रतिवादी सं0 1 का 117/772 वां हिस्से में से वादीगण 1 ल0 4 हि0 4/8, एवं प्रतिवादीगण सं0 1ल0 3, हि0 3/8 हिस्से के एवं प्रतिवादी सं0 4 ल0 6 जो की सुरज्ञान पुत्री कालूराम उर्फ बोदू के है का 1/8 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी में वादीगण के हिस्से मे कब्जे, काश्त, उपयोग–उपभोग में मजाहमत न करे न बेदखल करे न अन्य से करावें व दौराने वाद राजस्व रिकार्ड/मौके की यथास्थिति कायम रखें व किसी को किसी प्रकार से विक्रय/हस्ता0 न करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किये गये।

प्रतिवादीगण 2 लगा0 6 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः– वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित तथ्य सही है व स्वीकार है। वाद पत्र के मद नं0 2 में वर्णित खाता संख्या 18 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं खाता नम्बर 19 में प्रतिवादी संख्या 1 का 117/772 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 6 प्रतिवादी संख्या 1 के वंशज होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खाता नम्बर 18 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्से में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 6 की माता सुरज्ञान सभी समान भाग के हकदार है तथा खाता संख्या 19 में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज हिस्से 117/772 में वादीगण 4/8 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 3/8 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 6 1/8 हिस्से के हकदार तथा इसी अनुसार काबिज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा मृतका सुरज्ञान देवी प्रतिवादी नं0 1 की जायंदा सन्तान होने के कारण भूमि में बाई बर्थ राइट निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में फितूर उत्पन्न हो गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 6 को उनके अधिकारों से वंचित करने की गरज से खसरा नं0 59 में अपने 1/4 हिस्से में से 52/225 वां हिस्सा अर्थात 13 बिस्वा भूमि एंव खसरा नं0 60 में अपने हिस्से 117/772 सम्पूर्ण का

.....4

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

बेचान प्रतिवादी संख्या 7 को दिनांक 06.04.2017 को निष्पादित करा दिया। प्रतिवादी संख्या 7 का कोई कब्जा नहीं है। प्रतिवादी नं0 1 ने उक्त आराजी में अपने हिस्से से अधिक का बेचान किया है। जिससे वादीगण एवं मिन प्रतिवादीगण कतई पाबंद नहीं है व बमुकाबिले वादीगण व मिन प्रतिवादीगण बातिल व बेअसर है। दिनांक 21.08.2019 को प्रतिवादी संख्या 7 अजनबियों के साथ विवादग्रस्त आराजी पर आया व वादीगण व हम प्रतिवादीगण को बेदखल करने, बेचान के आधार पर कब्जा करने की धमकी दी। इसलिए काउन्टर क्लेम बाबत घोषणा, खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 7 पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः— वाद पत्र का मद नंबर 1 में वर्णित तथ्य सही है एवं स्वीकार है। मद नम्बर 2 में वर्णित तथ्य के अनुसार पक्षकारान की मुश्तर्का कब्जे काश्त व खातेदारी की मोरूसी आराजीयात स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 6 प्रतिवादी संख्या 1 के वशंज होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 6 का हिस्सा होना स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 7 को दिनांक 05.04.2017 को बेचान किया जाना स्वीकार है। किन्तु बेचान में वर्णित प्रतिफल का भुगतान जरिए चैक दिया जाना अंकित किया गया। उसके अनुसार चैकों के जरिए मिन जवाब दाता को प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ जिस बाबत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है। उक्त बेचान मिन जवाब दाता द्वारा अपनी निजी एवं पारिवारिक आवश्यकतावश किया गया था। प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध दिनांक 31.05.2022 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही तत्कालीन न्यायालय द्वारा अमल में लायी गयी।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जवाब पेश हुआ तथा उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयीः—

1. आया वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा कराने के अधिकारी है कि आराजी खसरा नं. 59 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा , खसरा नं. 442 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा , खसरा नं. 492 रकबा 2 बिस्वा , खसरा नं. 494 रकबा 12 बिस्वा , खसरा नं. 440/1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा , खसरा नं. 440/2 रकबा 18 बिस्वा , खसरा नं. 441 रकबा 19 बिस्वा , खसरा नं. 491 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 8 का कुल रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम बस्सी नागा में प्र0न01 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1लगा. 3— 7/32 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगा. 6 —1/32 हिस्से के खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार आराजी खसरा नं. 60 रकबाा 38 बीघा 12 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज 117/772 हिस्से मे वादीगण 4/8 हिस्से के, प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 3/8 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगा. 6 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार है।

..... बजिम्मे वादीगण

8/6/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

.....5

2 आया वाद वादीगण विरूद प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द कराने के अधिकारी है कि विवादग्रस्त आराजीयात मे वादीगण के हिस्से मे कब्जे, काश्त उपयोग–उपभोग मे मजाहमत न करे न बेदखल करे न अन्य से करावें व दौराने वाद राजस्व रेकार्ड/मौके की यथास्थिति कायम रखे व किसी को किसी प्रकार से विक्रय/हस्ता0 न करें।

..... बजिम्मे वादीगण

3 दादरसी

वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू–1 शिशपाल, पीडब्ल्यू–2 लालाराम, को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये जिनमें नक्शा प्रर्दश–1, नामन्तरण सं0 759 की प्रमाणित प्रति मय जमाबंदी प्रदर्श–2 तथा जमाबंदी संवत् 2001–2029 प्रदर्श–3 है।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गयी।

बहस उभयपक्षकारान की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्येक विवाद्यक पर न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या–1:–

वादीगण की ओर से दौराने बहस अभिवचन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ल0 6 प्रतिवादी सं0 1 की जायन्दा संताने है एवं संयुक्त हिन्दू परिवार के मुश्तर्का खानदान के सदस्य है जिनका सिजरा खानदान वाद पत्र के मद सं0 1 में दर्ज है। पक्षकारान की मुश्तर्का कब्जे काश्त व खातेदारी की मोरूसी आराजीयात खाता नं0 नया 18 पुराना 125 की आराजीयात खसरा नं0 59 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा,खसरा नं0 442 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 492 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 494 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 440/1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 440/2 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं0 441 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 491 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा, कुल किता 8 कुल रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम बस्सी नागा में स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 कालूराम उर्फ बोदू का 1/4 हिस्से का एवं खाता नं0 नया 19 पुराना 125 की आराजीयात के खसरा नं0 60 रकबा 38 बीघा 12 बिस्वा वाकै ग्राम बस्सी नागा में स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 कालूराम उर्फ बोदू का 117/772 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त सम्पूर्ण आराजीयात पर परचा सेटिलमेंट के समय प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 पर काबिज काश्त था इसी अनुसार परचा खातेदारी आया था बाद में खसरा नं0 60 में से बेचान होने पर प्रतिवादी सं0 1 का 117/772 हिस्सा व खाता नं0 नया 18 के कुल किता 8 कुल रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा में प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा अंकित रहा। हिन्दू उत्तराधिकार व काश्तकारी प्रावधानो के अनुसार प्रतिवारी सं0 1 के नाम बहेसियत कर्ता खाता नं0 नया 18 में 1/4 हिस्सा अंकित है। जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1ल0 3 व प्रतिवादी सं0 4 ल0

.....6

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

6 की माता सुरज्ञान आठों समान भाग के हकदार है वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1ल0 3, 7/32 हिस्से के एवं प्रतिवादी सं0 4 ल0 6 जो की सुरज्ञान पुत्री कालूराम उर्फ बोदू के वारिस है का 1/32 हिस्से के हकदार है एवं खाता नं0 नया 19 के खसरा नं0 60 में 117/772 वां हिस्सा अंकित है। जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1ल0 3 व प्रतिवादी सं0 4 ल0 6 की माता सुरज्ञान आठों समान भाग के हकदार है वादीगण 1 ल0 4 हि0 4/8, एवं प्रतिवादीगण सं0 1ल0 3, हि0 3/8 हिस्से के एवं प्रतिवादी सं0 4 ल0 6 जो की सुरज्ञान पुत्री कालूराम उर्फ बोदू के वारिस है का 1/8 हिस्से के हकदार है एवं इसी अनुसार काबिज काश्त है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 एवं मृतका सुरज्ञान देवी प्रतिवादी सं0 1 की जायन्दा संताने होने के कारण बाई बर्थ उनका हित निहित है, प्रतिवादी सं0 1 को पुश्तेनी आराजी मे अपने हिस्से से अधिक विक्रय करने का अधिकार नहीं है। वादीगण को पुश्तेनी आराजी के अधिकारो से वंचित करने की गरज से खसरा नं0 59 में अपने 1/4 हिस्से का 52/225 वां हिस्सा एवं खसरा नं0 60 में अपने 117/772 सम्पूर्ण को 68,11,000/– रू0 में प्रतिवादी सं0 7 को दिनांक 06/04/2017 को बैचान कर विधिवत बैचान पत्र उप पंजियक सांभर में 05/04/2017 को तहरीर कराकर दिनांक 06/04/2017 को पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 588 पृ0 सं0 137 कम सं0 201703302101183 पर पंजियन किया जाकर अतिरिक्त पु0 सं0 1 जिल्द सं0 1166 के पृ0 सं0 317 से 329 पर चस्पा किया गया जिसकी फोटोप्रति पेश है। उक्त बेचान पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं0 7 को कोई कब्जा नहीं दिया गया । आज भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ल0 6 हिस्सेनुसार काबिज काश्त है प्रतिवादी सं0 1 ने अपने हिस्से से अधिक का बेचान किया है जिससे वादीगण पाबन्द नहीं है व बमुकाबिले वादीगण वातिल व बेअसर है व वादीगण उक्त बेचान व उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन से पाबन्द नही है। प्रतिवादी सं0 7 कथित बेचान के आधार पर वादीगण को बेदखल कर कब्जा करने एवं अन्य को बेचान कर राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन कराने पर उतारू है। दिनांक 21/08/2019 को प्रतिवादी अजनवियो को विवादग्रस्त आराजी पर लेकर आया व वादीगण को बेदखल करने बेचान के आधार पर कब्जा करने की धमकी दी व पुश्तेनी आराजी में वादीगण के अधिकारों से इंकार करने पर वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण का वाद विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय जारी की जावे कि खाता नं0 नया 18 के कुल किता 8 कुल रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा में प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा अंकित रहा। जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1ल0 3 व प्रतिवादी सं0 4 ल0 6 की माता सुरज्ञान आठों समान भाग के हकदार है अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1ल0 3, 7/32 हिस्से के एवं प्रतिवादी सं0 4 ल0 6 जो की सुरज्ञान पुत्री कालूराम उर्फ बोदू के वारिस है का 1/32 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। खाता नं0 नया 19 के खसरा नं0 60 में 117/772 वां हिस्सा अंकित है। वादीगण 1 ल0 4 हि0 4/8, एवं प्रतिवादीगण सं0 1ल0 3, हि0 3/8 हिस्से के एवं प्रतिवादी सं0 4 ल0 6 जो की सुरज्ञान पुत्री कालूराम उर्फ बोदू के है का 1/8 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया

.....7

21/5/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

जावे कि वे विवादित आराजी में वादीगण के हिस्से मे कब्जे, काश्त, उपयोग–उपभोग में मजाहमत न करे न बेदखल करे न अन्य से करावें व दौराने वाद राजस्व रिकार्ड/मौके की यथास्थिति कायम रखें व किसी को किसी प्रकार से विक्रय/हस्ता0 न करें।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रस्तुत तर्कों का सामग्रता से अवलोकन किया गया।

विवाद्यक संख्या 1 के संबंध में वादीगण द्वारा साक्ष्य के दौरान प्रदर्श–1 भूमि का नक्शा ट्रेस, नामन्तरण रजिस्टर की प्रमाणित मय जमावंदी प्रति प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत् 2011–2029 प्रदर्श–3 प्रस्तुत कर प्रर्दश प्रतिर्शित करायी गयी। उपरोक्त प्रर्दशों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादीगण की मुश्तर्का कृषि भूमि है। उक्त भूमि में वादीगण का जन्म से ही हक अधिकार निहित है। कालूराम उर्फ बोदू को उक्त भूमि पुश्तैनी प्राप्त हुई है। पीडब्लयू 1 जो की स्वयं वादी है ने अपने गवाह की मुख्य परीक्षा में कथन किया कि हम वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की जाइंदा संतान है एवं संयुक्त हिन्दू परिवार के मुश्तर्का खानदान के सदस्य है। हमारा सजरा वादपत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित है। खाता संख्या 18 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व खसरा नं0 60 में 117/72 वां हिस्सा है। उपरोक्त सम्पूर्ण आराजीयात कुल रकबा 69 बीघा 3 बिस्वा थी जिस पर भू–प्रबंध बंदोबस्त के समय प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा था। बाद में खसरा नम्बर 60 में बेचान होने पर प्रतिवादी संख्या 1 का 117/772 वां हिस्सा शेष रहा। हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 6 प्रतिवादी संख्या 1 के वशंज होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खसरा नं0 59, 442, 492, 494, 440/1, 440/2, 441, 491 कुल किता 8 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बहैसियत कर्ता 1/4 हिस्सा अंकित है। उक्त 1/4 हिस्से में हम वादीगण संख्या 1 लगा0 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 6 की माता सुरज्ञान 8 समान भाग के हकदार है। इसी प्रकार खसरा नं0 60 में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज 117/772 वे हिस्से मे हम वादीगण 1 लगा0 4 हिस्सा 4/8 प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 हिस्सा 3/8 प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 6 जो सुरज्ञान के वारीस है 1/8 हिस्से के हकदार है एवं इसी प्रकार काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में फितूर उत्पन्न हो गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 6 कर उनके अधिकारों से वंचित करने की गरज से खसरा नं0 59 में अपने 1/4 हिस्से में से 52/225 वां हिस्सा अर्थात 13 बिस्वा भूमि एंव खसरा नं0 60 में अपने हिस्से 117/772 सम्पूर्ण का बेचान प्रतिवादी संख्या 7 को दिनांक 06.04. 2017 को कर दिया। प्रतिवादी संख्या 7 का कोई कब्जा नहीं है। प्रतिवादी नं0 1 ने उक्त आराजी में अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया है। जिससे वादीगण एवं मिन प्रतिवादीगण कतई पाबंद नहीं है व बमुकाबिले वादीगण व मिन प्रतिवादीगण बातिल व बेअसर है। दिनांक 21.08.2019 को प्रतिवादी संख्या 7 अजनबियों के साथ विवादग्रस्त आराजी पर आया व वादीगण व हम प्रतिवादीगण को बेदखल करने, बेचान के आधार पर कब्जा करने की धमकी दी। पीडब्लयू 2

.....8

21/4/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

लालाराम जो कि स्वतंत्र गवाह है ने भी वादीगण के वाद पत्र के अभिवचनों की ताईद की।

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वादीगण यह साबित करने में सफल रहे है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा करवाया गया विक्रय पत्र दिनांक 05.04.2017 द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक भूमि का बेचान कर दिया गया। जिससे वादीगण को पैतृक भूमि में अपने जन्म से निहित हक अधिकारों से वंचित होना पडा। उपरोक्त भूमि में खसरा नं0 59, 442, 492, 494, 440/1, 440/2, 441, 491 कुल किता 8 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बहैसियत कर्ता 1/4 हिस्सा अंकित है। उक्त 1/4 हिस्से मे वादीगण संख्या 1 लगा0 4 का 4/32 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 का 2/32 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 6 जो की सुरज्ञान के वारिस है का 1/8 हिस्सा के हकदार है। इसी प्रकार खसरा नं0 60 में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज 117/772 वे हिस्से मे वादीगण 1 लगा0 4 हिस्सा 4/8 प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 हिस्सा 3/8 प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 6 जो सुरज्ञान के वारीस है 1/8 हिस्से के हकदार है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 1 बाबत घोषणा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2:–

इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादीगण पर है। इस विवाद्यक में वादीगण को यह साबित करना है कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। विवाद्यक संख्या 1 के विस्तृत विवेचन में वादीगण यह साबित करने में सफल रहे है कि उक्त विवादग्रस्त अराजीयात कालूराम प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 का जन्म से ही हक अधिकार निहित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे के मद नं0 6 में स्पष्ट कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 7 का विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 6 प्रतिवादी संख्या 1 की जायंदा संतानें है एवं उनका विवादीत भूमि में जन्म से ही हक अधिकार निहित है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रश्न है तो इस संबंध में वादीगण द्वारा अभिवचनों व मुख्य परीक्षा में वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का कब्जा होना बताया है तथा जिरह में भी यह कथन किया है कि विवादित भूमि पर कब्जा वादीगण का ही है। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य स्वतंत्र गवाह पीडब्लयू 2 लालाराम द्वारा भी विवादित भूमि पर कब्जा वादीगण का होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक हिस्से का विक्रय पत्र पंजीकृत कराने के कारण वादीगण स्थायी

................9

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर
21/4/2023

निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 2 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण विनिश्चित किया जाता है।

अनुतोषः–

चुकि वादीगण विवाद्यक संख्या 1 व 2 अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है। अतः उपरोक्त विवाद्यकों के निर्णयानुसार वादीगण का वाद सभी अनुतोषों के बाबत् स्वीकार होने योग्य है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

–:क्रियात्मक आदेशः–

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता नम्बर 18 के खसरा नं0 59, 442, 492, 494, 440/1, 440/2, 441, 491 कुल किता 8 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बहैसियत कर्ता 1/4 हिस्सा अंकित है। उक्त 1/4 हिस्से मे वादीगण संख्या 1 लगा0 4 का 4/32 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 का 2/32 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 6 जो की सुरज्ञान के वारिस है का 1/8 हिस्सा के हकदार है। इसी प्रकार खसरा नं0 60 में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज 117/772 वे हिस्से मे वादीगण 1 लगा0 4 हिस्सा 4/8 प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 हिस्सा 3/8 प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 6 जो सुरज्ञान के वारीस है 1/32 हिस्से के हकदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का खाता नम्बर 18 में दर्ज 1/4 हिस्से के स्थान पर नवीन हिस्सा वादीगण संख्या 1 लगा0 4 का 4/32 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 का 2/32 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 6 जो की सुरज्ञान के वारिस है का 1/8 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा इसी प्रकार खाता नम्बर 19 के खसरा नम्बर 60 में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज 117/772 वे हिस्से के स्थान पर नवीन हिस्सा वादीगण 1 लगा0 4 का हिस्सा 4/8 प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 का हिस्सा 3/8 प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 6 जो सुरज्ञान के वारीस है का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अमल दरामद किया जावे। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सें पाबन्द किया जाता हैं कि विवादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जें काश्त में किसी प्रकार की रूकावट, बाधा उत्पन्न न करें न बेदखल करें। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जाकर शामिल मिसल किया जावें। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2023 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर (जयपुर)

21/4/2023

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर** मुकाम **जोबनेर** जिला जयपुर व इजलास **श्री अरूण कुमार जैन आर0ए0एस0,**

शिशपाल वगै0 बनाम कालूराम वगै0

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 112/2019 तथा इस न्यायालय का वाद पत्र संख्यांक 23/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्री अरूण कुमार जैन आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री** चन्दन सिंह, विद्वान अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री मोहन लाल वर्मा विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या 1, श्री अजय सिंह विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 06, सरकार पैरोकार मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि वादीगण शिशपाल वगै0 द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा निम्न प्रकार से निर्णीत किया जाता है:–

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता नम्बर 18 के खसरा नं0 59, 442, 492, 494, 440/1, 440/2, 441, 491 कुल किता 8 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बहैसियत कर्ता 1/4 हिस्सा अंकित है। उक्त 1/4 हिस्से मे वादीगण संख्या 1 लगा0 4 का 4/32 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 का 2/32 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 6 जो की सुरज्ञान के वारिस है का 1/32 हिस्सा के हकदार है। इसी प्रकार खसरा नं0 60 में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज 117/772 वे हिस्से मे वादीगण 1 लगा0 4 हिस्सा 4/8 प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 हिस्सा 3/8 प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 6 जो सुरज्ञान के वारीस है 1/8 हिस्से के हकदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का खाता नम्बर 18 में दर्ज 1/4 हिस्से के स्थान पर नवीन हिस्सा वादीगण संख्या 1 लगा0 4 का 4/32 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 का 2/32 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 6 जो की सुरज्ञान के वारिस है का 1/32 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा इसी प्रकार खाता नम्बर 19 के खसरा नम्बर 60 में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज 117/772 वे हिस्से के स्थान पर नवीन हिस्सा वादीगण 1 लगा0 4 का हिस्सा 4/8 प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 का हिस्सा 3/8 प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 6 जो सुरज्ञान के वारीस है का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अमल दरामद किया जावे। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सें पाबन्द किया जाता हैं कि विवादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जें काश्त में किसी प्रकार की रूकावट, बाधा उत्पन्न न करें न बेदखल करें। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जाकर शामिल मिसल किया जावें। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 21 माह 04 सन् 2023 को जारी किया गया।

21/4/23
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

मुददई	रूपया		पैसा	मुददायलाह	रूपया	पैसा
अर्जी दावा.......	02/-			अर्जी दावा.......	01/-	
स्टाम्प वकालतनामा. ...	01/-			स्टाम्प वकालतनामा. ...	11/-	
स्टाम्प वजह सबूत... ...				स्टाम्प वजह सबूत... ...		
महनताना वकील...... .				महनताना वकील...... .		
खर्चा गवाहान......				खर्चा गवाहान......		
फीस कमिश्नर......				फीस कमिश्नर......		
बाबत् इजराय हुक्मनामा......				बाबत् इजराय हुक्मनामा......		
मुतफर्रिक.......	05/-			मुतफर्रिक.......		
मीजान.......				मीजान.......		
कुल	08/-				12/-	

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का, चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

1. शिशपाल पुत्र कालूराम उर्फ बोदू
2. जगदीश पुत्र कालूराम उर्फ बोदू
3. सरजू देवी पुत्री कालूराम उर्फ बोदू
4. संतोष पुत्री कालूराम उर्फ बोदू

समस्त जाति कुमावत निवासीयान बस्सी नागा, तहसील फुलेरा हाल जोबनेर जिला जयपुर

..........वादीगण

बनाम

1. कालूराम उर्फ बोदू पुत्र कानाराम जाति कुमावत निवासीयान बस्सी नागा, तहसील फुलेरा हाल जोबनेर जिला जयपुर
2. सत्यनारायण पुत्र कालूराम उर्फ बोदू
3. राजू पुत्री कालूराम उर्फ बोदू
4. लीलाधर पुत्र सुरज्ञान देवी पुत्री कालूराम उर्फ बोदू
5. महेश पुत्र सुरज्ञान देवी पुत्री कालूराम उर्फ बोदू
6. भगवती उर्फ सुरखा पुत्री सुरज्ञान देवी पुत्री कालूराम उर्फ बोदू
7. देवव्रत शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी झोटवाडा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

21/5/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर